जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांकः–एफ 17/14/सू.का.अ./2024/2915-16 दिनांकः 03/09/24

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–03/2024 (ऑनलाईन अपील संख्या–309867100466650)

श्री जयवंत भैरविया,
निवासी–29, महावीर नगर, न्यू भूपालपुरा,
उदयपुर। अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर। प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत हुई है–

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	15.08.2024
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	03.09.2024
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक	21.08.2024
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	03.09.2024
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	03.09.2024

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	श्रीमान संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमान राजेन्द्र जी भट्ट I.A.S. को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, इस अपील के विभाग में इनवर्ड नम्बर की सूचना प्रदान की जाए।
2.	श्रीमान संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमान राजेन्द्र जी भट्ट I.A.S. को दिनांक 16.05.2024 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, यह अपील वर्तमान में विभाग की किस शाखा में किस अधिकारी/कार्मिक की कस्टडी में है, सूचना प्रदान की जाए।
3.	श्रीमान संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमान राजेन्द्र जी भट्ट I.A.S. को दिनांक 16.05.2024 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, इस अपील पर आज दिनांक तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मय कार्यालय टिप्पणी की सत्यापित सूचना प्रदान की जाए।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नही होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण का निर्णयः–

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 03.09.2024 पर उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 29.08.2024 को जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त अपील का जबाव पत्रांक 2771–2772 दिनांक 28.08.2024 से प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित की गई है तथा साथ ही प्रतिलिपि के साथ सूचना, कुल 03 पृष्ठों की उपलब्ध करायी गई तथा आज दिनांक 03.09.2024 को पुनः पत्र क्रमांक 2909 दिनांक 03.09.2024 से कुल 03 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है।

उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या–309171502261101 दिनांक 15.08.2024 को प्रस्तुत किया है तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 06 दिवस पश्चात दिनांक 21.08.2024 को उक्त प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जबकि प्रार्थी द्वारा मात्र 06 दिवस के पश्चात ही प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रिकोर्ड से यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थी को पत्र दिनांक 28.08.2024 से 03 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी गई है तथा पुनः पत्र दिनांक 03.09.2024 से भी 03 पृष्ठों की सूचना पुनः निःशुल्क उपलब्ध करायी गई है। जबकि निर्धारित समय में सूचना प्राप्त करने पर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं उपलब्ध रिकोर्ड से स्पष्ट है कि प्रार्थी को निर्धारित समय में निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील आज दिनांक 03.09.2024 को खारिज की जाती है।

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

03/09/2024.

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

क्रमांकः–एफ 17/14/सू.का.अ./2024/2915-16 दिनांकः 03/09/24

प्रतिलिपिः–

1. श्री जयवंत भैरविया, निवासी–29, महावीर नगर, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर राजस्थान।
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)